भारत सरकार

जलशक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का अप्रैल, 2020 माह का मासिक सार।

<u>भोजन एवं दवाओं जैसी आवश्यक मदों की उपलब्धता हेतु आपूर्ति श्रृंखला सुगम बनाने और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन हेतु अधिकारप्राप्त समूह 5</u>

भोजन एवं दवाओं जैसी आवश्यक मदों की उपलब्धता हेतु आपूर्ति श्रृंखला सुगम बनाने और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2020 के आदेश संख्या: 40-3/2020-डीएम-I(ए) के द्वारा अधिकारप्राप्त समूह 5 का गठन किया गया है।

इस अधिकारप्राप्त समूह ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से प्रतिदिन बैठक की तथा परिवहन संघों, औद्योगिक निकायों, मंत्रालयों, राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ अनेक बार चर्चा की और इन चर्चाओं के आधार पर अधिकारप्राप्त समूह ने अनिवार्य वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए गृह मंत्रालय को अपनी नीतिगत सिफारिशें भेजीं। साथ ही, इस समूह ने जमीनी स्तर पर विशिष्ट आपूर्ति व्यवधानों का निदान करने का भी प्रयास किया।

<u>राज्य सरकारों को सलाह</u>

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव द्वारा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिनांक 8.4.2020 को एक संयुक्त परामर्शिका जारी की गई जिसमें स्वच्छता कार्यों में शामिल फ्रंटलाइन कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा गियर प्रदान करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

इस विभाग द्वारा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के एसीएस/प्रधान सचिवों/ग्रामीण स्वच्छता प्रभारी सचिवों को लॉकडाउन के दौरान स्वच्छता तथा साफ-सफाई कार्यों को जारी रखने और सभी निहित कर्मचारियों द्वारा सुरक्षात्मक गियर का उपयोग और सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के संबंध में दिनांक 13.04.2020 और 18.4.2020 को अतिरिक्त परामर्शिकाएं भी जारी की गईं।

जेजेएम कार्यक्रम के तहत, जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन में सभी हितधारकों को एक साथ लाने और जागरूकता उत्पन्न करने तथा आगामी मानसून के संदर्भ में जल संरक्षण और पुनर्भरण के लिए तैयारी किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए, डब्ल्यूडीसी-

पीएमकेएसवाई, जेजेएम, मनरेगा और एमजीएनआरईजीएस को अभिसारित करके मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डीओआरडी, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर और डीओएलआर के साथ डीडीडब्ल्यूएस द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2020 को एक परामर्शिका जारी की गई।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता प्रभारी मिशन निदेशकों/एसीएस/प्रमुख सचिवों/सचिवों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 09.04.2020 को नई दिल्ली में एक वीडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता प्रभारी मिशन निदेशकों/एसीएस/प्रमुख सचिवों/सचिवों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 21.04.2020 को नई दिल्ली में एक और वीडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया।

जल जीवन मिशन

बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, लद्दाख, पुडुचेरी, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, केरल तथा जम्मू और कश्मीर में जल जीवन मिशन हेतु वार्षिक कार्य योजनाओं के संबंध में संबंधित राज्यों के प्रधान सचिवों/ प्रभारी जल सचिवों के साथ दिनांक 7 अप्रैल से 26 अप्रैल 2020 के दौरान वीडियो सम्मेलन के माध्यम से चर्चा हुई।